

THE UTTAR PRADESH GO-SEVA AYOGE ADHINIYAM, 1999

[U. P. ACT no. 15 of 1999]

-----

ARRANGEMENT OF SECTIONS

SECTIONS

- 1- Short title, extent and commencement
- 2- Definitions
- 3- Establishment of the Ayog
- 4- Constitution of the Ayog
- 5- Term of office and allowances of members
- 6- Disqualifications for being non official member
- 7- Officers and other employees of the Ayog
- 8- Salaries and allowances to be paid out of the Fund of the Ayog
- 9- Vacancies etc, not to invalidate proceedings of the Ayog
- 10- Procedure of the Ayog
- 11- Functions and powers of the Ayog
- 12- Grants by the State Government
- 13- Accounts and Audit
- 14- Annual report
- 15- Annual report and audit report to be laid before the State Legislature
- 16- Chairperson, Members and employees of the Ayog to be public servant
- 17- Fund of the Ayog
- 18- Application of Fund and property of the Ayog
- 19- Directions by the Government
- 20- Protection of action taken in good faith
- 21- Power to remove difficulties
- 22- Power to make regulations
- 23- Power to make rules
- 24- Repeal and savings

THE UTTAR PRADESH GO-SEVA AYOG ADHINIYAM, 1999<sup>1</sup>

[U. P. ACT no. 15 of 1999]

*Amended by*

U. P. Act No. 09 of 2007

U. P. Act No. 17 of 2013

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature, assented to by the Governor on March 24, 1999 and published in U. P. Gazette extraordinary on March 24, 1999. ]

**AN**

**ACT**

***to establish a Go-Seva Ayog for preservation, development and welfare of the cow and its progeny and for matters connected therewith or incidental thereto.***

IT IS HEREBY enacted in the Fiftieth Year of the Republic of India as follows ;

**Short title,  
extent and  
commen-  
cement**

**1.** (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Go-Seva Ayog Adhiniyam, 1999.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the Government may by notification, appoint in this behalf.

**Definition**

**2.** In this Adhiniyam, —

(a) “Ayog” means the Uttar Pradesh Go-Seva Ayog establish under section 3 ;

(b) “Cow” means cow and its progeny ;

(c) “Government” means the State Government of Uttar Pradesh;

(d) “member” means a member of the Ayog and includes the Chairperson and Vice-Chairperson of the Ayog.

(e) words and expressions used and not defined in this Adhiniyam but defined in the Uttar Pradesh Prevention of Cow Slaughter Act 1955 or, as the case may be, the Uttar Pradesh Goshala Adhiniyam 1964 shall have the meanings assigned to them therein.

**Establishment  
of the Ayog**

**3.** (1) The Government may, by notification, establish at Lucknow a body to be known as the Uttar Pradesh Go-Seva Ayog to exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to it under this Adhiniyam.

(2) The Ayog shall be a body corporate.

**Constitution  
of the Ayog**

**4.** (1) The Ayog shall consist of the following members :—

---

1. For SOR see at the end of this Act.

[The Uttar Pradesh Go-Seva Ayog Adhiniyam, 1999]

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| <sup>1</sup> [ (a) Principal Secretary/Secretary to the Government in the Animal Husbandry Department ] | “ <i>Ex-officio Member</i> ”   |
| <sup>2</sup> [ (b) Secretary to the Government in the Finance Department                                | “ <i>Ex-officio Member</i> ” ] |
| (c) Secretary to the Government in the Agriculture Department,  | ”                              |
| (d) Secretary to the Government in the Forest Department,   | ”                              |
| (e) Secretary to the Government in the Dairy Development Department,                                    | ”                              |
| (f) Secretary to the Government in the Revenue Department,  | ”                              |
| (g) Director General of police, Uttar Pradesh,  | ”                              |
| (h) Director, Animal Husbandry Department, Uttar Pradesh.   | ”                              |

<sup>3</sup>[(i) four non official members nominated by the Government from amongst the following persons, namely :—

(i) one representative of the Uttar Pradesh Goshala Sangh established under the Uttar Pradesh Goshala Adhiniyam, 1964 ;

(ii) three persons of which one person shall be a farmer and two persons belonging to Voluntary organizations engaged in the welfare, preservation and protection of the cow in the State,

(j) Ayog may co-opt five members from amongst persons having done outstanding service for the welfare of cow who shall have no right to vote.

(2) The <sup>4</sup>[Chairperson and the Vice-Chairperson] of the Ayog shall be nominated by the Government from amongst the non-official members.

(3) In the event of death, resignation or disqualification of a non-official, member or of his becoming incapable of acting before the expiry of his term, a vacancy shall be deemed to have occurred in such office and such vacancy shall be filled by nomination of a person thereto as member who shall hold office for the remainder of the term of his predecessor.

---

1. *Subs.* by sec. 2 of U. P. Act no. 17 of 2013.

2. *Subs.* by sec. 2 of U. P. Act no. 09 of 2007.

3. *Subs.* by sec. 2 of U. P. Act no. 09 of 2007.

4. *Subs.* by sec. 2 (b) of U.P. Act no. 17 of 2013.

**Term of office and allowances of members**

**5.** <sup>1</sup>[(1) every non-official member shall hold office for a term of one year and shall be eligible for re-nomination ;

Provided that a non-official member shall hold office during the pleasure of the Government. ]

(2) There shall be paid to the non-official members, Chairperson and Vice-chairperson such allowances as may be prescribed.

(3) A non-official member may, by writing under his hand addressed to the Government, resign his office at any time and on such resignation being accepted, he shall be deemed to have vacated his office.

(4) <sup>2</sup>[ X X X X ]

**Disqualifications for being non official member**

**6.** A person shall be disqualified for being nominated as, and for being a non-official member, if he —

(a) holds any office of profit under the Ayog :

(b) is of unsound mind and stands so declared by a competent court ; or

(c) is an undischarged insolvent ; or

(d) has directly or indirectly by himself or by any member of his family or by any partner, employer or employee acquired any interest whether pecuniary or of any other nature, in any contract or employment with, by or on behalf of, the Ayog ; or

(e) is a Director or a Secretary or a member or other salaried officer of any corporate body or any co-operative society, which has any share interest in any contract or employment with, by or on behalf of the Ayog ; or

(f) has been convicted of an offence involving moral turpitude ;

Provided that a person shall not, be disqualified under clause (a) by reason only of his being a member and receiving any allowances under sub-section (2) of section 5.

**Officers and other employees of the Ayog**

**7.** (1) The Government shall provide the Ayog with a Secretary and such other officers and employees as may be necessary for the efficient performance of the functions of the Ayog.

(2) The salaries and allowances payable to, and the other terms and conditions of the service of, the Secretary and the other officers and employees appointed for the purposes of the Ayog shall be such as may be prescribed.

**Salaries and allowances to be paid out of the Fund of the Ayog**

**8.** The allowances payable to non-official members and the administrative expenses, including salaries, allowances and pensions payable to the officers and other employees referred to in section 7, shall be paid out of the Fund referred to in section 12.

1. Subs. by sec. 3(a) of U. P. Act no. 09 of 2007.

2. Omit. by sec. 3 (b) of U. P. Act no. 09 of 2007.

**Vacancies etc,  
not to  
invalidate  
proceedings of  
the Ayog**

**9.** No act or proceeding of the Ayog shall be invalid on the ground merely of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the Ayog.

**Procedure of  
the Ayog**

**10.** (1) The Ayog shall meet as and when necessary at such time and place as the Chair person may think fit.

(2) The Ayog itself shall regulate its procedure.

(3) All orders and decisions of the Ayog shall be authenticated by the Secretary or any other officer of the Ayog duly authorized by the Secretary in this behalf.

**Functions and  
powers of the  
Ayog**

**11.** (1) The Ayog shall perform all or any of the following functions, namely :—

(i) enquire into, suo motu or on complaint an alleged violation of any provision of the Uttar Pradesh Prevention of Cow Slaughter Act, 1955 and the laws governing the Goshalas, cattle pounds, cattle fairs and cattle market by whatever name called and to submit its report to the Government ;

(ii) work for the welfare of cow in the State ;

(iii) work for the scientific use of dung and urine of cow so as to enhance their utility in the sphere of agriculture including soil fertility and domestic use ;

(iv) work for promotion of and assistance to Goshalas ;

(v) activate defunct Goshalas ;

(vi) in addition to, and not in derogation of, the provisions of the Uttar Pradesh Goshala Adhiniyam, 1964 ; assist in the working and functioning of the Goshalas, established and run by the voluntary organizations, for the purposes of providing financial assistance, training in the field of scientific rearing of various breeds of cow as also for the proper utilization of dung and urine of the cow for agriculture and domestic use, including propagation and use of bio-gas plant based on the dung of cow ;

(vii) exercise supervision over Goshalas to check malafied diversions of fund provided by the Ayog or the Government and the property belonging to the Goshalas and other voluntary organizations and bring to the notice of the Government specific instances for appropriate action ;

(viii) develop pastures and associate with other institutions and bodies, whether private or public, for the said purposes ;

(ix) apply for and obtain tracts of land from the Government or other persons by way of allotment, gift, lease or purchase for the purposes of developing pastures or growing fodder, establishing fodder banks, Goshalas and such other constructions thereon as may be necessary for the purposes of this Adhyadesh ;

(x) educate, campaign and make people aware about the economic benefits which can be derived out of cow ;

(xi) Procure fodder and make it available for the cow in the areas affected by famine, drought or other natural calamities and set up camps for the aforesaid purpose in such affected areas.

(xii) work in collaboration with Agricultural Universities or the organizations of the Government engaged in the task of research in the fields of breeding and rearing cow and the organic manure or biogas and collaborate with research projects of Indian System of Medicine conducted by various public or private organizations for conducting research on the biogenic products of the cow for Medicinal purposes ;

(xiii) assist Goshalas in their efforts in producing pedigreed bulls of indigenous species of cow and for procuring fodder and assist in relocation of existing Goshalas, at places where plenty of fodder and water is easily available ;

(xvi) promote schemes to encourage use of organic manure and recommend to the Government suitable measures including incentive schemes for use of dung or urine of cow as organic manure and pesticides by farmers to minimize the use of chemical fertilizers and pesticides and encourage manufacturing and use of recently developed bullock driven agricultural implements and carts ;

(xv) undertake fodder development schemes ;

(xvi) take into custody the abandoned, stray, rescued, confiscated or seized cows from the concerned local bodies, other competent authorities or courts after due authorization in accordance with law for the time being in force and maintain them or get them maintained properly ;

(xvii) formulate and submit schemes for consideration of the Government for the establishment of cottage industries in the rural areas, based on cow milk, cow dung, cow urine, energy generation by drought power of bullocks and bio gas product of cow as also based on hides or bones of the naturally dead cow for the purposes of manufacturing various products ;

(xviii) organize demonstrations, meetings and seminars pertaining to development of indigenous species of cow, organic farming developed bullock-driven agricultural implements and carts and arrange for publicity and extension programmes regarding benefits from cow through Television, Radio, seminars, meetings and demonstrations and publish and distribute their video-audio cassettes and literature ;

(xix) make available training facilities regarding cattle rearing and their management to the managers and staff of Goshalas or other non-governmental organizations ; and

(xx) examine any other matter that may be referred to it by the Government and submit its report thereon.

(2) In order to enable the Ayog to perform the functions under this Adhiniyam, the Ayog —

(a) shall have the same powers which a court has under the Code of Civil Procedure to compel any person to be present and give statement on oath, to compel any person to produce records or books of accounts, to issue commission to record statement of any person and to inspect any records or books of account ;

(b) may constitute committees at different levels consisting of official and non-official members and may issue directions from time to time to them and supervise their work ;

(c) may, with the prior approval of the Government, issue identity card to a person designating him as an Honorary Gorakshak in such form and for such period and for the purposes of pursuing such part-time activities relating to cow as may be prescribed ;

(d) shall review various Acts in force in the State pertaining to cow and the rules made thereunder and may recommend amendments therein.

(3) The Government may provide adequate force to the Commission if so required by it for efficient discharge of its functions under this Adhiniyam.

**Grants by the State Government**

**12.** (1) The State Government shall, after due appropriation made by the State Legislature by law in this behalf, pay to the Commission by way of grants such sums of money as the State Government may think fit for being utilized for the purposes of this Adhiniyam.

(2) The Commission may spend such sums as it thinks fit for performing the functions under this Adhiniyam and such sums shall be treated as expenditure payable out of the grants referred to in sub-section (1).

**Accounts and Audit**

**13.** (1) The Ayog shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form and manner as may be prescribed.

(2) The accounts of the Ayog shall be audited by such auditor and at such intervals as may be prescribed.

(3) The auditor shall have such powers of requiring the production of books, accounts, vouchers and other documents and papers for inspecting any of the offices of the Ayog as may be prescribed.

**Annual report**

**14.** The Ayog shall prepare annual report for each financial year, in such form and at such time, as may be prescribed giving a full account of its activities during the financial year and forward a copy thereof to the Government.

**Annual report and audit report to be laid before the State Legislature**

**15.** The Government shall cause the annual report, together with a memorandum of action taken on the advice tendered by the Ayog under section 11, and the reasons for the non-acceptance, if any, of any such advice, and the audit report to be laid, as soon as may be, after they are received, before both the Houses of the State Legislature.

**Chairperson,  
Members and  
employees of  
the Ayog to be  
public servant**

**16.** The Chairperson, Members and employees of the Ayog shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

**Fund of the  
Ayog**

**17.** (1) The Ayog shall have its own fund and all receipts of the Ayog shall be credited thereto and all payments by the Ayog shall be made therefrom.

(2) The Ayog may —

(a) accept grants, subventions, donations and gifts from the Government or a local authority and private or public trusts and individuals ; and

(b) receive loans from the commercial banks or any other financial institutions for all or any of the purposes of this Adhiniyam.

(3) All monies belonging to the fund of the Ayog shall be deposited in such manner as may be prescribed.

(4) Accounts of the Ayog in the banks shall be operated by such officers or functionaries of the Ayog jointly or individually as may be authorized by the Ayog.

**Application of  
Fund and  
property of  
the Ayog**

**18.** (1) All properties, funds and other assets of the Ayog shall be held and applied by it for the purposes of this Adhiniyam.

(2) No proposal involving financial implication shall be approved, sanctioned or implemented by the Ayog unless such proposal is first examined by a Finance Committee duly constituted in the manner as may be prescribed.

**Directions by  
the  
Government**

**19.** (1) In the discharge of its functions, the Ayog shall be guided by such directions on a question of policy as may be given to it by the Government.

(2) If any dispute arises between the Government and the Ayog as to whether a question is or is not a question of policy, the decision of the Government shall be final.

**Protection of  
action taken  
in good faith**

**20.** No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of the provisions of this Adhiniyam or the rules made thereunder.

**Power to  
remove  
difficulties**

**21.** (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Adhiniyam, the Government may, by a notified order, make provisions, not inconsistent with the provisions of this Adhiniyam as appear to it to be necessary or expedient, for removing the difficulty.

(2) No order under sub-section (1) shall be made after the expiration of a period of two years from the commencement of this Adhiniyam.

(3) Every order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be, before both the Houses of the State Legislature and



[The Uttar Pradesh Go-Seva Ayog Adhiniyam, 1999]

the provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the Government under any Uttar Pradesh Act.

**Power to make regulations**

**22.** The Ayog may, with the prior approval of the Government, make regulations consistent with this Adhiniyam and the rules made thereunder.

**Power to make rules**

**23.** The Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Adhiniyam.

**Repeal and savings**

**24.** (1) The Uttar Pradesh Go-Seva Ayog Adhyadesh, 1998 and the Uttar Pradesh Go-Seva Ayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 1999 is here by repealed.

**U.P. Ordinance No. 20, 1998 and Ordinance No. 3, 1999**

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the Ordinances referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Article 48 of the Constitution of India provides that the State shall endeavor to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall, in particular, take steps for preserving and improving the breeds and prohibiting the slaughter of cows and calves and other milch and draught cattle. In pursuance of the said provisions, the Uttar Pradesh Prevention of Cow Slaughter Act, 1955 and the Uttar Pradesh Go-shala Adhiniyam, 1964 were enacted but the provisions of the said Acts could not be implemented effectively, due to which slaughter of cow and its progeny and their transportation from the State to places outside the State continued illegally and old and useless stray Cattle were causing different kinds of problems. Hence, it was decided to establish the Uttar Pradesh Go-Seva Ayog mainly for, preservation, development and welfare of the cow and its progeny, to work for promotion of scientific use of dung and urine of cow so as to enhance their utility in the sphere of agriculture including soil fertility and domestic use, promoting schemes to encourage use of organic manure, obtaining tracts of land for the purposes of developing pastures or growing fodder, establishing fodder banks Go-shalas and other constructions, educating campaigning and making people aware of the economic benefits which can be derived from the cow, formulating schemes for the establishment of cottage industries the rural areas based on cows milk, cow dung, cow urine, energy generation by draught power of bullocks and bio-gas product of cow as also based on hides or bones of the cow lying naturally, promoting schemes to encourage use of organic manure and for ensuring effective implementation of the provisions of the Uttar Pradesh Prevention of Cow Slaughter Act, 1955 and the Uttar Pradesh Go-shala Adhiniyam, 1964.

2. Since the State Legislature was not in session and immediately Legislative action to implement the aforesaid decision was necessary, the Uttar Pradesh Go-Seva Ayog Adhyadesh, 1998 (Uttar Pradesh Ordinance no. 20 of 1998) was promulgated by the Governor on December 18, 1998.

3. Sub-clause (iv) of clause (i) of sub-section (1) of section 4 of the aforesaid Ordinance contained a provision in respect of the constitution of that twelve persons, one from each revenue division of the State belonging to voluntary organisations engaged in the welfare, preservation and protection of cow in the State, shall be nominated by the State Government as non-official members of the aforesaid Ayog. As there are 19 revenue divisions in the State and it is not possible to nominate one person from each revenue divisions as on-official member of the aforesaid Ayog, it was decided to amend sub-clause (iv) of clause (f) of sub-section (1) of section 4 of the aforesaid Ordinance to provide that twelve persons belonging to voluntary organisations engaged in the welfare, preservation and protection of cow in the State, shall be nominated by the State Government as non-official members of the aforesaid Ayog.

4. Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action to implement the decision referred to in paragraph 3 was necessary, the Uttar Pradesh Go-Seva Ayog (Sanshadhan) Adhyadesh, 1999 (Uttar Pradesh Ordinance no. 3 of 1999) was promulgated by the Governor on January 18, 1999.

This Bill is introduced accordingly to replace the aforesaid Ordinance.

# उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग अधिनियम, 1999<sup>1</sup>

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1999]

उ० प्र० अधिनियम संख्या 09, 2007

उ० प्र० अधिनियम संख्या 17, 2013

द्वारा संशोधित

[जैसा की उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित हुआ, "भारत के संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने दिनांक 24 मार्च, 1999 को अनुमति प्रदान की एवं उत्तर प्रदेश गजट असाधारण में 24 मार्च, 1999 को प्रकाशित हुआ।]

गाय और गाय के वंश के परिरक्षण, विकास और कल्याण के लिए गो-सेवा आयोग की स्थापना करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

## अधिनियम

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है : —

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग अधिनियम, 1999 कहा जायगा।

संक्षिप्त नाम,  
विस्तार और प्रारम्भ

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2—इस अधिनियम में,—

परिभाषाएं

(क) "आयोग" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग से है ;

(ख) "गाय" का तात्पर्य गाय और गाय के वंश से है ;

(ग) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है।

(घ) "सदस्य" का तात्पर्य आयोग के सदस्य से है और इसमें आयोगके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी सम्मिलित है ;

(ङ) इस अधिनियम में प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु, यथास्थिति, उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 या उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम, 1964 में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उनमें उनके लिए समनुदेशित हैं।

3—(1) इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और समनुदेशित कृत्यों का पालन करने के लिए सरकार, अधिसूचना द्वारा, लखनऊ में एक निकाय की स्थापना कर सकेगी जिसे उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग के रूप में जाना जायेगा।

आयोग की स्थापना

(2) आयोग एक निगमित निकाय होगा।

4—(1) आयोग में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

आयोग का गठन

1. उद्देश्य व कारणों हेतु इस अधिनियम के अन्त में देखें।

1[ (क) सरकार का प्रमुख सचिव/ सचिव, पशुपालन विभाग	पदेन सदस्य]
2[ (ख) सरकार का सचिव वित्त विभाग]	पदेन सदस्य
(ग) सरकार का सचिव, कृषि विभाग	तदैव
(घ) सरकार का सचिव, वन विभाग	तदैव
(ङ) सरकार का सचिव, दुग्ध विकास विभाग	तदैव
(च) सरकार का सचिव, राजस्व विभाग	तदैव
(छ) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश	तदैव
(ज) निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश	तदैव

3[(झ) निम्नलिखित व्यक्तियों में से सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट चार गैर सरकारी सदस्य अर्थात् :-

(एक) उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम, 1964 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश गोशाला संघ का एक प्रतिनिधि ;

(दो) तीन व्यक्ति, जिनमें से एक कृषक होगा और दो राज्य में गाय के कल्याण, परिरक्षण और संरक्षण में लगे स्वयंसेवी संगठनों से संबंधित होंगे।]

(ज) आयोग, ऐसे व्यक्तियों में से जिन्होंने गाय के कल्याण के लिए विशिष्ट सेवा की हो, पांच सदस्य सहयोजित कर सकेगा, जिन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं होगा ।

(2) आयोग के <sup>4</sup>[अध्यक्ष और उपाध्यक्ष] सरकार द्वारा गैर सरकारी सदस्यों में से नाम-निर्दिष्ट किए जायेंगे ।

(3) किसी गैर सरकारी सदस्य की मृत्यु होने, त्याग-पत्र देने या अनर्ह हो जाने या पदावधि की समाप्ति के पहले कार्य करने के आयोग्य हो जाने की दशा में, ऐसे पद की रिक्ति हुई समझी जायगी और ऐसी रिक्ति को सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के नाम-निर्देशन द्वारा भरा जायेगा जो अपने पूर्वाधिकारी की शेष पदावधि के लिए पद धारण करेगा ।

---

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 17, 2013 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।  
 2. उ० प्र० अधिनियम सं० 09, 2007 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।  
 3. उ० प्र० अधिनियम सं० 09, 2007 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।  
 4. उ० प्र० अधिनियम सं० 17, 2013 की धारा 2(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

5-1[(1) प्रत्येक गैर सरकारी सदस्य एक वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनः नाम निर्देशन के लिए पात्र होगा,

सदस्यों को पदावधि और उनके भत्ते

परन्तु यह कि कोई गैर सरकारी सदस्य राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा।]

(2) गैर सरकारी सदस्यों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को ऐसे भत्ते दिये जायेंगे जैसे विहित किये जाये ।

(3) कोई गैर से सरकारी सदस्य सरकार को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसी भी समय अपने पद से त्याग-पत्र दे सकता है और ऐसे त्याग-पत्र की स्वीकृति पर यह समझा जायेगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है ।

(4) 2[ X X X X ]

6-कोई व्यक्ति गैर सरकारी सदस्य के रूप में नाम-निर्दिष्ट किए जाने और गैर सरकारी सदस्य होने के लिए अनर्ह होगा, यदि वह —

गैर सरकारी सदस्य होने के लिए अनर्हतायें

(क) आयोग के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता हो ।

(ख) विकृतचित हो जाय और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाय ; या

(ग) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाय ; या

(घ) स्वयं या अपने परिवार के किसी सदस्य द्वारा या किसी भागीदार सेवा योजक या कर्मचारी द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः आयोग के साथ, द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या नियोजन में कोई हित रखता हो, चाहे वह धन संबंधी हो या किसी अन्य प्रकृति का हो ; या

(ङ) किसी ऐसे निगमित निकाय या किसी सरकारी समिति का, जिसका आयोग के साथ, द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या सेवायोजन में कोई अंश या हित हो, निदेशक या सचिव या सदस्य या अन्य वेतन भोगी अधिकारी हो; या

(च) किसी ऐसे अपराध के लिए जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त हो, सिद्ध दोष किया जाय ;

परन्तु कोई व्यक्ति मात्र सदस्य होने के कारण और धारा-5 की उपधारा (2) के अधीन भत्ता प्राप्त करने के कारण खण्ड (क) के अधीन अनर्ह नहीं होगा।

7-(1) सरकार आयोग को एक सचिव और ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध करायेगी जो आयोग के कृत्यों के दक्षतापूर्वक पालन के लिए आवश्यक हो।

आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी

(2) आयोग के प्रयोजन के लिए नियुक्त सचिव और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जाय ।

8-गैर सरकारी सदस्यों को देय भत्ते और प्रशासनिक व्यय जिसमें धारा-7 में निर्दिष्ट अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते और पेंशन भी सम्मिलित होंगे, का भुगतान धारा-12 में निर्दिष्ट निधि से किया जायगा ।

वेतन और भत्ते का भुगतान आयोग की निधि से किया जाना

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 09, 2007 की धारा 3(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ० प्र० अधिनियम सं० 09, 2007 की धारा 3(ख) द्वारा निकाला गया ।

9-आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही आयोग के गठन में केवल कोई रिक्ति या त्रुटि होने के आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी।

रिक्तियों इत्यादि से  
आयोग की  
कार्यवाही अविधि  
-मान्य नहीं होंगी

10-(1) आयोग जब आवश्यक हो ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगा जैसा अध्यक्ष उचित समझे।

आयोग की प्रक्रिया

(2) आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगा।

(3) आयोग के समस्त आदेश और विनिश्चय सचिव या सचिव द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जायेंगे।

11-(1) आयोग निम्नलिखित समस्त या किसी कृत्य का पालन करेगा, अर्थात्:—

आयोग के कृत्य  
और उसकी  
शक्तियाँ

(एक) उत्तर प्रदेश गोवध-निवारण अधिनियम, 1955 और गोशालाओं, काजी हाऊसों, पशुमैलों और पशु बाजारों, चाहे जिस नाम से पुकारा जाय, को शासित करने वाली विधियों के किसी उपबन्ध के अभिकथित अतिक्रमण की, स्वप्रेरणा से या शिकायत पर, जांच करना और उसकी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करना ;

(दो) राज्य में गाय के कल्याण के लिए कार्य करना ।

(तीन) गाय के गोबर और मूत्र के वैज्ञानिक उपयोग के लिए इस प्रकार कार्य करना जिससे मृदा उर्वरकता सहित कृषि और घरेलू उपयोग में उसकी उपयोगिता बढ़ाई जा सके ;

(चार) गोशालाओं की प्रोन्नति और सहायता के लिए कार्य करना ;

(पांच) निष्क्रिय गोशालाओं को सक्रिय बनाना ;

(छः) उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम, 1964 के उपबन्धों के अतिरिक्त, न कि उनके अल्पीकरण में, वित्तीय सहायता प्रदान करने, गाय की विभिन्न नस्लों के वैज्ञानिक प्रजनन के क्षेत्र में तथा गाय के गोबर और मूत्र का कृषि क्षेत्र और घरेलू उपयोग के क्षेत्र में समुचित उपयोग, जिसमें गाय के गोबर पर आधारित बायो-गैस संयंत्रों का बढ़ाया जाना और उपयोग भी सम्मिलित है, के लिए प्रशिक्षण देने के प्रयोजनों के लिए, गाय के स्वैच्छिक संगठनों द्वारा स्थापित और चलाई जा रही गोशालाओं के कामकाज तथा कार्य में सहायता करना।

(सात) आयोग या सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधियों और गोशालाओं और अन्य स्वैच्छिक संगठनों की संपत्तियों के असदभावपूर्ण अपयोजन को रोकने के लिए गोशालाओं पर पर्यवेक्षण करना और समुचित कार्यवाही के लिए विनिर्दिष्ट उदाहरण को सरकार की नोटिस में लाना ;

(आठ) चरागाहों का विकास करना और उक्त प्रयोजनों के लिए अन्य संस्थाओं और निकायों से, चाहे निजी हो या सार्वजनिक, सहयुक्त होना ।

(नौ) सरकार या अन्य व्यक्तियों से चरागाह विकसित करने या चारा उगाने या चारा बैंकों, गोशालाओं और ऐसे अन्य निर्माणों, जैसे अधिनियम के प्रयोजनों के लिये आवश्यक हों, की स्थापना करने के प्रयोजन के लिये आवंटन, उपहार, पट्टा या क्रय के द्वारा भू-भाग के लिये आवेदन करना और उन्हें प्राप्त करना ;

(दस) गाय से प्राप्त किये जा सकने वाले आर्थिक लाभों के बारे में लोगों को शिक्षित करना, अभियान चलाना और उन्हें जागरूक करना ;

(ग्यारह) दुर्भिक्ष, सूखा और अन्य प्रकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में गाय के लिये चारा उपाप्त कर उपलब्ध कराना और ऐसे प्रभावित क्षेत्रों में उपर्युक्त प्रयोजन के लिये शिविर लगाना ;

(बारह) कृषि विश्वविद्यालयों या गाय के प्रजनन और पालन-पोषण और जैव खाद या बायो-गैस के क्षेत्र में अनुसंधान के कार्य में लगे सरकारी संगठनों के सहयोग से कार्य करना और चिकित्सीय प्रयोजनों के लिये गाय के जैविक उत्पादन पर अनुसंधान करने के लिये विभिन्न सार्वजनिक या निजी संगठनों द्वारा संचालित भारतीय चिकित्सा पद्धति की अनुसंधान परियोजनाओं में सहयोग करना ;

(तेरह) गाय की स्वदेशी प्रजाति की अच्छी नस्लों के साड़ों को उत्पन्न करने और धारा उपाप्त करने के प्रयासों में गोशालाओं की सहायता करना और वर्तमान गोशालाओं को ऐसे स्थान पर अवस्थित करने में सहायता करना जहां प्रचुर मात्रा में सुगमता पूर्वक चारा और पानी उपलब्ध हों ;

(चौदह) जैविक खाद के प्रयोग को प्रोत्साहित करने की योजना को बढ़ावा देना और सरकार से उचित उपायों की सिफारिश करना, जिनमें रसायनिक उर्वरकों और कीटनाशक दवाओं को कम करने के लिए किसानों द्वारा जैविक खाद और कीटनाशक पदार्थों के रूप में गाय के गोबर और मूत्र के प्रयोग से सम्बन्धित प्रोत्साहन योजना सम्मिलित है और हाल में विकसित किए गए बैल द्वारा खींचे जाने वाले कृषि उपकरणों और बैल गाड़ियों के निर्माण और प्रयोग को प्रोत्साहित करना ;

(पन्द्रह) चारा विकास योजनाओं का जिम्मा लेना ;

(सोलह) तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार सम्यक् प्राधिकार के पश्चात् सम्बन्धित स्थानीय निकायों, अन्य सक्षम प्राधिकारियों या न्यायालयों से परित्यक्त लावारिस छोड़ी गई अधिहृत या अभिगृहीत गायों को अभिरक्षा में लेना और उचित रूप से उनका अनुरक्षण करना या समुचित रूप से उनका अनुरक्षण कराना ;

(सत्रह) ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के दूध, गाय के गोबर, गो-मूत्र, बैलो की भार-वाहक शक्ति और गाय के बायो-गैस उत्पाद द्वारा ऊर्जा उत्पादन पर आधारित, इसी प्रकार विभिन्न उत्पादों के निर्माण के प्रयोजनों के लिए स्वाभाविक रूप से मृत गायों के चमड़े एवं हड्डियों पर आधारित कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार के विचारार्थ योजना बनाना और प्रस्तुत करना ;

(अट्ठारह) गाय की स्वदेशी प्रजातियों, कार्बनिक खेती, बैलों द्वारा खींचे जाने वाले विकसित कृषि उपकरणों और गाड़ियों के विकास से सम्बन्धित निदर्शनों, सभाओं और संगोष्ठियों का आयोजन करना और दूरदर्शन, रेडियों संगोष्ठियों, सभाओं और निदर्शनों के माध्यम से गाय से होने वाले लाभों के सम्बन्ध में प्रचार और प्रसार कार्यक्रमों के लिए व्यवस्था करना और उनसे सम्बन्धित वीडियों, आडियों कैसिट और साहित्य प्रकाशित और वितरित करना ;

(उन्नीस) गोशालाओं या अन्य गैर सरकारी संगठनों के प्रबन्धको और कर्मचारी वृन्द को पशुपालन और उसके प्रबन्ध के सम्बन्ध में प्रशिक्षण सुविधायें उपलब्ध कराना ;

(बीस) सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट अन्य किसी विषय का परीक्षण करना और उस पर अपनी रिपोर्ट देना ।

(2) इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के पालन हेतु आयोग को समर्थ बनाने के लिए, आयोग:-

(क) को वही शक्ति प्राप्त होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन किसी व्यक्ति को उपस्थित होने और शपथपूर्वक बयान देने के लिए बाध्य करने, किसी व्यक्ति को अभिलेखों और लेखा बहियों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने और किसी व्यक्ति के बयान को अभिलिखित करने और किन्ही अभिलेखों या लेखा बहियों का निरीक्षण करने हेतु आयोग जारी करने के लिए किसी न्यायालय को प्राप्त है।

(ख) भिन्न-भिन्न स्तरों पर सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों को सम्मिलित करते हुए समितियां गठित कर सकता है और उन्हें समय-समय पर निर्देश जारी कर सकता है और उनके कार्यों का पर्यवेक्षण कर सकता है ;

(ग) सरकार के पूर्वानुमोदन से किसी व्यक्ति को अवैतनिक गोरक्षक के रूप में पदाभिहित करते हुए उसे पहचान पत्र जारी कर सकता है जो ऐसे प्रपत्र में और ऐसी अवधि के लिए और गाय से संबंधित ऐसे अंशकालिक क्रिया कलापों के अनुसरण के प्रयोजनों के लिए होगा जैसा विहित किया जाय ;

(घ) राज्य में गाय से सम्बन्धित प्रवृत्त विभिन्न अधिनियमों और तद्धीन बनाये गये नियमों का पुनर्विलोकन करेगा और उनमें संशोधन के लिए सिफारिश कर सकता है ।

(3) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षता पूर्वक सम्पादन करने के लिए आयोग द्वारा ऐसी अपेक्षा करने पर सरकार उसे समुचित बल उपलब्ध करा सकेगी ।

**12-**(1) सरकार, राज्य विधान मण्डल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किये गये सम्यक् विनियोग के पश्चात् इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किये जाने के अनुदान के रूप में धन की ऐसी राशि, जैसा सरकार उचित समझे, आयोग को भुगतान करेगी;

राज्य सरकार द्वारा अनुदान

(2) आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी राशि जैसी वह उचित समझे, व्यय कर सकता है और ऐसी राशि की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदान के देय व्यय के रूप में समझा जायेगा ;

**13-**(1) आयोग समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेखों को रखेगा और लेखों का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्रपत्र में और ऐसी शीति से जैसी विहित की जाय, तैयार करेगा।

लेखा और लेखा परीक्षा

(2) आयोग के लेखा की लेखा परीक्षा ऐसे लेखा परिक्षक द्वारा की जायेगी और ऐसे अन्तराल पर जैसा विहित किया जाय, की जायेगी।

(3) लेखा परीक्षक को बहियों, लेखों, वाउचरों और अन्य दस्तावेजों और पत्रादि पेश करने की अपेक्षा करने और आयोग के किसी कार्यालय का निरीक्षण करने के लिए ऐसी शक्ति होगी जैसी विहित की जाय।

**14-**आयोग, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे प्रपत्र में और ऐसे समय पर जैसा विहित किया जाय वार्षिक रिपोर्ट उस वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का पूर्ण विवरण देते हुए, तैयार करेगा और उनकी एक प्रति सरकार को अग्रसारित करेगा।

वार्षिक रिपोर्ट

**15-**सरकार धारा 11 के अधीन आयोग द्वारा दी गयी सलाह पर की गयी कार्यवाही और किसी ऐसी सलाह को अस्वीकार करना यदि कोई हो, के कारण के ज्ञापन के साथ वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट, उनको प्राप्त होते के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मंडल के दोनो सदनों के समक्ष रखवायेगी।

राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट का रखा जाना



16-भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अन्तर्गत आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी लोक सेवक समझे जायेंगे ।

आयोग के अध्यक्ष,  
सदस्य और  
कर्मचारी लोक  
सेवक होंगे  
आयोग की निधि

17-(1) आयोग की स्वयं की अपनी निधि होगी और आयोग की समस्त प्राप्तियां उसमें जमा की जायेंगी और आयोग द्वारा समस्त भुगतान उसमें से किये जायेंगे ।

(2) आयोग,—

(क) सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी और निजी या लोक न्यासों और व्यक्तियों से अनुदान, आर्थिक सहायता, दान और उपहार स्वीकार कर सकता है, और

(ख) इस अधिनियम के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए वाणिज्यिक बैंकों या किन्हीं अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर सकता है ।

(3) आयोग की निधि से सम्बन्धित समस्त धन, ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, जमा किया जायगा ।

(4) बैंकों में आयोग के लेखे, आयोग के ऐसे अधिकारियों या कृत्याकारियों द्वारा जैसा आयोग द्वारा प्राधिकृत किया जाय संयुक्त रूप से या व्यक्तिगत रूप से संचालित किये जायेंगे ।

18-(1) आयोग की समस्त सम्पत्तियाँ, निधियों और अन्य आस्तियाँ, उसके द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये धारित और उपयोजित को जायेंगी ।

आयोग की निधि  
और सम्पत्ति का  
उपयोजन

(2) आयोग द्वारा कोई ऐसा प्रस्ताव जिसमें वित्तीय अलिप्तता अर्न्तग्रस्त हो, तब तक अनुमोदित, स्वीकृत या कार्यान्वित नहीं किया जायगा जब तक कि ऐसे प्रस्ताव का विहित रीति से सम्यक् रूप से गठित वित्त समिति द्वारा पहले परीक्षण न कर दिया जाय ।

19-(1) आयोग अपने कृत्य के निर्वहन में नीतिगत किसी प्रश्न पर ऐसे निदेशों द्वारा जैसे सरकार द्वारा उसे दिये जाय, मार्ग-दर्शित होगा ।

सरकार द्वारा निदेश

(2) यदि सरकार और आयोग के बीच कोई ऐसा विवाद कि कोई प्रश्न जो नीतिगत प्रश्न है, या नहीं तो उस पर सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

20-किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे कार्य के लिये जो इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिए अभिप्रेत हो, न तो कोई वाद या अभियोजन प्रस्तुत किया जायगा और न अन्य विधिक कार्यवाही की जायगी ।

सद्भावना से की  
गई कार्यवाही का  
संरक्षण

21-(1) इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा, कठिनाई को दूर करने के लिए ऐसे उपबन्ध बना सकती है, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, और जो उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो ।

कठिनाइयों को दूर  
करने की शक्ति

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश नहीं दिया जायगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मंडल के दोनो सदनों के समक्ष रखा जायगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम,

[The Uttar Pradesh Go-Seva Ayog Adhiniyam, 1999]

1964 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध, उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं ।

**22**—आयोग सरकार के पूर्व अनुमोदन से, इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के संगत विनियमन बना सकता है । **विनियमन बनाने की शक्ति**

**23**—सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है । **नियम बनाने की शक्ति**

**24**—(1) उत्तर प्रदेश गो—सेवा आयोग अध्यादेश, 1998 एवं उत्तर प्रदेश गो—सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1999 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । **निरसन और अपवाद**

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध संभी सारवान समय पर प्रवृत्त था । **उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं0 20, 1998 एवं अध्यादेश संख्या 3, 1999**

## उद्देश्य और कारण

भारत का संविधान के अनुच्छेद 48 में यह व्यवस्था है कि राज्य, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिये कदम उठायेगा। उक्त व्यवस्था के अनुसरण में उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 तथा उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम, 1964 अधिनियमित किये गये किन्तु उक्त अधिनियमों के उपबन्ध प्रभावी ढंग से लागू न किये जा सकने के कारण गाय और गोवंशी पशुओं का वध एवं प्रदेश से बाहर अन्य स्थानों पर अवैध रूप से उनका परिवहन किया जाता रहा और वृद्ध एवं अनुपयोगी पशु छुट्टा बनकर विभिन्न प्रकार की समस्यायें उत्पन्न करते रहे। अतएव यह विनिश्चय किया गया कि मुख्यतः गाय और गाय के वंश के परिरक्षण, विकास और कल्याण, गाय के गोबर और मूत्र के वैज्ञानिक उपयोग के लिये इस प्रकार कार्य करने जिससे मृदा उर्वरकता सहित कृषि और घरेलू उपयोग में उसको उपयोगिता बढ़ाई जा सके, जैविक खाद के प्रयोग को प्रोत्साहित करने की योजना को बढ़ावा देने, चारागाह विकसित करने या चारा उगाने या चारा बैंकों, गोशालाओं और अन्य निर्माणों की स्थापना करने के लिये भू-भाग प्राप्त करने, गाय से प्राप्त किये जा सकतने वाले आर्थिक लाभों के बारे में लोगों को शिक्षित करने, अभियान चलाने और उन्हें जागरूक करने, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के दूध, गाय के गोबर, गो-मूत्र, बैलों को भार-भाहक शक्ति और गाय के बाँयों गैस उत्पाद द्वारा ऊर्जा उत्पादन पर आधारित और स्वाभाविक रूप से मृत गाय के चमड़े एवं हड्डियों पर आधारित कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिये योजना बनाने, जैविक खाद के प्रयोग को प्रोत्साहित करने की योजना को बढ़ावा देने, उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 और उत्तर प्रदेश गो-शाला अधिनियम, 1964 के उपबन्धों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये राज्य में गो-सेवा आयोग की स्थापना की जाय।

2-चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही करनी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 1998 को उत्तर प्रदेश गो-सेवा अध्यादेश, 1998 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 20 सन् 1998) प्रख्यापित किया गया।

3-उपर्युक्त आयोग के गठन के सम्बन्ध में उपर्युक्त अध्यादेश की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (झ) के उप-खण्ड (चार) में यह व्यवस्था थी कि बारह व्यक्ति, राज्य के प्रत्येक राजस्व मण्डल से एक व्यक्ति जो राज्य में गाय के कल्याण, परिरक्षण और संरक्षण में लगे स्वयं सेवी संगठनों से सम्बन्धित हो, उपर्युक्त आयोग के गैर सरकारी सदस्य के रूप में राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे। चूंकि राज्य में 19 राजस्व मण्डल हैं और प्रत्येक राजस्व मण्डल से एक व्यक्ति को आयोग के गैर सरकारी सदस्य के रूप में नाम-निर्दिष्ट किया जाना सम्भव नहीं है, अतएव यह विनिश्चय किया गया कि उपर्युक्त अध्यादेश की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (झ) को संशोधित कर यह व्यवस्था कर दी जाय कि ऐसे बारह व्यक्ति, जो राज्य में गाय के कल्याण, परिरक्षण और संरक्षण में लगे स्वयं सेवी संगठनों से सम्बन्धित हों, उपर्युक्त आयोग के गैर सरकारी सदस्य के रूप में राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और प्रस्तर-3 में निर्दिष्ट विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही करनी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 18 जनवरी, 1999 को उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1999 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 1999) प्रख्यापित किया गया।

तदनुसार यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।